द्रोपदी मुर्मू सोमवार को देश की पन्द्रहवीं राष्ट्रपति बनी। इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली वे देश की दूसरी महिला एवं आदिवासी समुदाय की पहली नेता हैं। इसके साथ ही वे स्वतंत्र भारत में जन्मी देश की प्रथम और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। उन्होंने अपने प्रथम संबोधन में कहा कि "मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूं कि आप ना केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं और मेरा राष्ट्रपति बनना देश के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है तथा इस बात का प्रमाण भी है कि भारत में गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।" शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद संसद भवन से पारंपरिक तरीके से काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गये। राष्ट्रपति भवन में मुर्मू ने सेना के तीनों अंगों की सलामी ली। कोविंद ने मुर्मू के साथ राष्ट्रपति कार्यालय तक छोड़ने की औपचारिकता पूरी की। इसके कुछ देर बाद उन्होंने सलामी गारद की अंतिम सलामी ली और विदाई समारोह के बाद वह राष्ट्रपति भवन से अपने नये निवास की ओर रवाना हो गये। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए संसद भवन आने से पहले मुर्मू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, राजघाट गईं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

'राज्य सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की स्थाई बैंच जोधपुर में स्थापित हो'

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए

जोधपुर, 25 जुलाई (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने जोधपुर क्षेत्राधिकार में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की स्थाई पीठ जोधपुर में स्थापित करें। उन्होंने राज्य के प्रमुख विधि सचिव को निर्देश दिए हैं कि राज्य के अधिकारियों से सामंजस्य कर स्थाई पीठ गठित करने पर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि इसके वास्ते आधारभूत ढांचा, संसाधन, स्टाफ आदि की कार्रवाई जल्द से जल्द पूर्ण की जाएं और साथ ही जोधपुर पीठ के वास्ते अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करें।उन्होंने निर्देश दिए कि जोधपुर में जब तक स्थाई पीठ गठन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, तब तक अंतरिम रूप से जोधपुर में अधिकरण की चलपीठ प्रति माह 8 प्रभावी दिन

- **राजस्थान हाई कोर्ट की, जस्टिस संदीप मेहता और कुलदीप माथुर की बैंच ने कहा कि, जब तक जोधपुर में राज्य सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की स्थाई पीठ नहीं बन जाती, तब तक चल पीठ ही काम करेगी।**

न्यायिक कार्रवाई करें।

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथूसिंह राठौड़ ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर पैरवी करते हुए कहा कि गत 8 दिसंबर को खंडपीठ ने अधिकरण अध्यक्ष को निर्देश दिए थे कि चलपीठ जोधपुर में प्रतिमाह 5 दिन कार्य करें। अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह द्वारा जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिए जाने पर खंडपीठ ने 8 अप्रैल को 5 दिन का आदेश वापिस ले लिया। इस पर एसोसिएशन की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया कि अधिकरण सदस्य जोधपुर चल पीठ के दौरान मंगल,बुध और गुरुवार को कार्य करते हैं और सोमवार तथा शुक्रवार को कहीं पर भी न्यायिक कार्रवाई नहीं करते हैं। इस पर खंडपीठ ने अधिकरण अध्यक्ष को हलफनामा पेश करने के निर्देश पर उन्होंने शपथ पत्र पेश कर कहा कि गत 30 अप्रैल तक जयपुर पीठ में 6272 और जोधपुर में महज 747 प्रकरण ही लंबित है और इस साल के पहले चार माह में जयपुर में 535 और जोधपुर में 25 प्रकरण ही दर्ज हुए हैं। इस पर खंडपीठ ने 26 मई को अधिकरण अध्यक्ष को जिलावार प्रकरण बाबत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने अपने आदेश में कहा कि अधिकरण अध्यक्ष ने 25 मई का हलफनामा अपनी विशिष्ट शैली में दिया है और 19 जुलाई के शपथ पत्र से यह इंगित हो रहा है कि कुल 7019 लंबित प्रकरण में से जोधपुर मुख्य पीठ के क्षेत्राधिकार में 2655 और जयपुर में 4364 प्रकरण है, सो जोधपुर में एक माह में तीन दिन ही न्यायिक कार्रवाई करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का यह कहना सही है कि अधिकरण "न्याय आपके द्वार" सिद्धांत के अनुरूप कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2004 के आदेश के बाद हालात काफी बदल गए हैं। अब प्रकरणों की तादाद में अत्यधिक वृद्धि होने से माह में तीन दिन ही न्यायिक कार्रवाई किया जाना फरीकों और वकीलों के लिए असुविधाजनक होगा और न्याय आपके द्वार उद्देश्य के खिलाफ होगा।

उन्होंने कहा कि न्याय हित में यह अत्यावश्यक है कि जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ गठित की जाएं। उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की स्थाई पीठ गठित करें। भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित, हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य और अन्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने पैरवी की।

'कोर्ट में झूठी जानकारी देने पर कार्रवाई की क्या है व्यवस्था'

जयपुर, 25 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की ओर से अदालत में झूठी व गलत जानकारी देने को गंभीर मानते हुए गृह सचिव और डीजीपी को 5 अगस्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि पुलिस विभाग के इस रवैये को दूर करने के लिए क्या विभागीय कार्रवाई की गई और इसका क्या एक्शन प्लान है। जस्टिस समीर जैन ने ये आदेश गांजा तस्करी के मामले में आरोपी लूशी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि बार-बार देखा जाता है कि पुलिस कोर्ट में झूठी, गलत और पुरानी जानकारी दे रही है। इससे न्याय की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसा होना गंभीर व व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ और संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

याचिका में कहा गया कि अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में न होने पर भी उसे आरोपी बनाया। वहीं कोर्ट में उसके खिलाफ गलत जानकारी देकर चार केस लंबित होना बताया, जबकि उसके खिलाफ दो केस ही लंबित हैं और वह

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने, कोर्ट को झूठी व गलत जानकारी देने को गंभीर मानते हुए गृह सचिव को कोर्ट में 5 अगस्त को हाजिर होकर जवाब पेश करने के आदेश दिये।**

दो केसों में बरी हो गई है। अदालत के निर्देश की अनुपालना में अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने पेश होकर माना कि पुलिस विभाग से गलती हुई है और जांच रिपोर्ट बनाने वाले पुलिसकर्मी को चार्जशीट दे दी गई है। वहीं सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि कोर्ट से बरी होने के बाद इसकी सूचना जेल प्रशासन को मिलती है, लेकिन संबंधित थाने में इसकी सूचना पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। संबंधित व्यक्ति ही थाने में अपने बरी होने के बारे में जानकारी देता है। इसलिए जो रिपोर्ट पुलिस देती है, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। इस पर अदालत ने गृह सचिव और डीजीपी को पेश होकर जानकारी देने को कहा है।

'कांग्रेस विधायक बोले, जब से पुलिस कमिश्नरेट बना है, अपराधों की संख्या भी बढ़ी है'

विधायक वेद पाल सोलंकी ने प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर हो रही जन सुनवाई में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया

जयपुर, 25 जुलाई (का.प्र.)। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि जब से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट बना है, तब से अपराधों में वृद्धि हुई है। खासतौर पर जयपुर ग्रामीण के जितने भी थाने हैं, उनमें अपराधियों का बोलबाला बढ़ा है। ऐसे में जयपुर ग्रामीण के सभी थानों को जयपुर कमिश्नरेट से हटाकर एसपी के हवाले कर देना चाहिए ताकि ज्यादा मानिटरिंग हो पाए।

सोलंकी ने कहा कि जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद से चोरियों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। उन्होंने खुद के विधानसभा क्षेत्र के 2 थानों चाकसू और कोटखावदा को लेकर कहा कि "दोनों ही क्षेत्रों में नाकारा-निकम्मे पुलिस वालों को लगा रखा है, जो बजरी माफिया और भू माफियाओं से मिलकर उनके काम कर रहे हैं।ऐसे में अपराधों को रोकने पर उनका कोई ध्यान नहीं है। सोलंकी ने यह भी कहा कि नाकारा निकम्मे पुलिस वालों को हटाकर कर्मठ पुलिस वालों को लगाना चाहिए। यह बात मैं विधानसभा में भी उठा चुका हूं और फिर मुख्यमंत्री से मिलकर बात करूंगा।"

दरअसल विधायक वेद सोलंकी उनके विधानसभा क्षेत्र से चोरी हुए एक बकरे को पुलिस वालों की ओर से 2000 रुपये में किसी और को बेचने के मामले में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हो रही जनसुनवाई में क्षेत्रीय लोगों के साथ आए थे। जनसुनवाई में उन्होंने खेल मंत्री अशोक चांदना को बाकायदा सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी। इन्होंने जयपुर की कोटखावदा पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि यदि पुलिस ने इस तरह की वारदात की

- **जयपुर ग्रामीण के पुलिस थानों को कमिश्नरेट से हटाकर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में करने की मांग उठाई, जिससे ज्यादा मॉनिटरिंग हो पाये।**

है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्यवाही होगी।

विधायक सोलंकी और ग्रामीणों ने जनसुनवाई में ज्ञापन देकर कहा कि 22 जुलाई को कोटखावदा थाने में बकरा-बकरी चोरी का केस दर्ज करवाया गया था। बकरी तो मिल गई, लेकिन बकरा पुलिसवालों ने मिलीभगत करके एक व्यक्ति को बेच दिया। इसके पूरे सबूत हैं, जिस व्यक्ति के पास बकरा मिला, उसने साफ कहा कि यह बकरा उसे पुलिसवाले 2000 रुपए में बेचकर गए हैं। सोलंकी ने कहा पुलिस इतनी गिर गई कि बकरा बेचने लगी। हमारे मवेशी कहां सुरक्षित रहेंगे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। इसलिए मजूबरी में मुझे यह शिकायत लेकर आना पड़ा। इस पूरी घटना के वीडियो सबूत तक हमने दिए हैं।

मंत्री अशोक चांदना ने इस पर कहा कि अफसरों के साथ नजरिए का टकराव है। यह आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप राका के साथ हुए टकराव के बाद मंत्री पद को जलालत भरा बताने वाले अशोक चांदना ने कहा मैंने एक अधिकारी के बारे में लिखा था। जनता की जो समस्याएं होती है, उनको एक ब्यूरोक्रेट अलग नजरिए से देखता है। हम नेताओं को रोज जनसुनवाई करनी पड़ती है। हम उन्हीं समस्याओं को अलग नजरिए से देखते हैं। यह नजरिये का टकराव है, यह शुरू से चलता आया है। सरकार भले ही किसी की रही हो और यह आगे भी चलता रहेगा, यह कभी बंद नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 दिन बाद दोबारा यह टकराव नहीं होगा।

चांदना ने कहा इश्यूज तो रोज नए आते हैं। जब नजरिया अलग होता है तो उसमें टकराव हो जाता है। नेताओं का देखने का नजरिया अलग होता है। हम जनता की नजर से देखते हैं। हम फर्स्ट हैंड देखते हैं। हमारी परीक्षा हर 5 साल में होती है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से शिकायत दूर होने और उस समय उठाए मुद्दे के समाधान पर चांदना ने कहा कि पुराने मुद्दे पर दो से तीन बार जवाब दे चुका हूं, उसमें वही बात है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वरिष्ठ एडवोकेट शेखर नफाडे, जो इस याचिका का विरोध करने वाले आवंटियों की ओर से प्रस्तुत हुये थे, ने कहा कि इस मुद्दे को अदालत के समक्ष एक याचिका के जरिये उठाने के बजाय, अदालत के प्रशासकीय विभाग के समक्ष उठाया जाना चाहिये। पिछले सप्ताह, इस याचिका की त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया गया था, उस समय मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी की थी कि वकीलों को "भव्य चैम्बरों" की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये तथा उन्हें स्वयं को भाग्यशाली मानना चाहिये कि उन्हें दिल्ली में जगह आवंटित हो गई है।

सांसद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हालांकि, लगभग सभी कांग्रेस सांसद वैल में नारे बाजी कर रहे थे और कई सांसदों ने तख्तियाँ उठाई हुई थीं, पर संसदीय मामलात मंत्री ने केवल चार सांसदों का नाम लिया। जब वे प्रस्ताव पेश कर रहे थे तब भी विपक्ष के कई सदस्यों ने "न्याय-न्याय" के नारे लगाए। दिन के शुरु में, सदन की कार्रवाई तीन बजे तक के लिए स्थगित करते हुए स्पीकर ओम बिड़ला ने चेतावनी देते हुए कहा था कि, "कार्यवाही करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है" और जो लोग सदन में तख्तियाँ लाए हैं उन्हें कार्रवाई में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

विज्ञान पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बजट में 3.9 प्रतिशत कटौती पहले ही कर चुकी है।"

राहुल ने प्रधानमंत्री से कहा, "अपने गब्बर सिंह टैक्स के कारण विज्ञान के लिये मुसीबत खड़ी मत होने दीजिये।" उन्होंने कहा, "वैज्ञानिक विकास किसी देश के विकास की आधारशिला होता है। भाजपा सरकार द्वारा वैज्ञानिक शोध के लिये आवंटित होने वाले फंड को कम करना भारत के शओध परिस्थिक तंत्र (रिसर्च इकोसिस्टम) के लिये चिंतनीय लक्षण है।"

वोटर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उल्लंघन" बताया था तथा कहा था कि यह "असंवैधानिक एवं अधिकारातीत (अल्ट्रवायर्स) है।" उनकी दलील यह है कि यह लिंकेज मतदाताओं पर सीमाबंधन एवं नियंत्रण थोप देगी तथा उन्हें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर के सम्मुख अपनी पहचान सिद्ध करने पड़ेगी जिसके लिये मतदाता को अपना आधार विवरण देना होगा तथा इस प्रकार उसका व्यक्तिगत एवं निजी डाटा सरकारी अधिकारियों के पास पहुंच जायेगा।

साढ़े 3 साल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के कार्यकाल में 535 तबादला सूचियां जारी की थी। ऐसे में लगता है कि अशोक गहलोत सरकार जब अपना कार्यकाल पूरा करेगी तब तक वह वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में तबादलों की सूचियों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी होगी।

24 जजों की नियुक्ति की सिफारिश

नई दिल्ली, 25 जुलाई। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने सोमवार को चार न्यायिक अधिकारियों और 20 वकीलों को पदोन्नत कर पांच अलग-अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की। शीर्ष अदालत द्वारा जारी अलग-अलग बयानों के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए छह, उड़ीसा उच्च

- **सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने हाईकोर्ट्स के लिए 24 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है।**

न्यायालय के लिए एक और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए 13 वकीलों को पदोन्नत कर उन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश और गुवाहाटी उच्च न्यायालयओं के दो-दो न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश बनाने का सुझाव दिया है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिवसेना का चुनाव चिन्ह विवाद

शिंदे खेमा शिव सेना के अधिकृत चुनाव चिन्ह तीर कमान पर दावा कर रहा है, इसके लिए उसने चुनाव आयोग में याचिका दायर की है और उद्धव ठाकरे गुट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है

नयी दिल्ली, 25 जुलाई (वार्ता) शिवसेना के चुनाव चिन्ह का विवाद अब उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से उन्हें बतौर असली शिवसेना की मान्यता देने संबंधी याचिका पर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने आदेश देने की गुहार लगाई है।

शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई ने अपनी याचिका में बागी विधायकों (शिंदे खेमा) की अयोग्यता

- **शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा, बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।**

पर शीर्ष न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक 22 जुलाई को चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने गुहार लगाई है।

याचिका में कहा गया है कि शीर्ष न्यायालय के समक्ष 20 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से पेश वकील ने आश्वासन दिया था कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। शीर्ष न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि शिंदे और अन्य ने कथित तौर पर चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (प्रतीक आदेश) के पैरा 15 के तहत असली शिवसेना" के रूप में मान्यता देने की चुनाव आयोग से मांग की है।

शिंदे खेमा शिवसेना को आवंटित चुनाव चिन्ह "तीर कमान" का उपयोग करने के अधिकार का दावा कर रहा है।

देसाई की याचिका में कहा गया है कि चूंकि विधानसभा के सदस्यों के रूप में अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर करने वाले व्यक्तियों की स्थिति वर्तमान में अनिश्चित है। यह मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, इसलिए इन व्यक्तियों (शिंदे एवं उनके नेतृत्व में सरकार बनाने वाले बागी शिवसेना नेताओं) को विधायक नहीं माना जा सकता है।

कोटा बैराज के 11 गेट खोले

कोटा, 25 जुलाई (निसं)। चंबल के कैचमैंट एरिया में लगातार बरसात की वजह से चंबल का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए चंबल पर बने बांधों के गेट खोल कर पानी की निकासी की जा रही है।

जवाहर सागर बांध से 90,000 क्यूसेक लीटर पानी आने के कारण कोटा बैराज के 11 गेट खोलकर 1,10,000 क्यूसेक लीटर पानी की निकासी की गई है। कोटा बैराज की भराव क्षमता 854 फीट है और इसके 19 गेट हैं। यहां से एक साथ अधिकतम साढ़े सात लाख क्यूसेक लीटर पानी की निकासी की जा सकती है। इससे लगभग साढ़े छः लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है।

वर्तमान में कोटा बैराज का जलस्तर 853 पॉइंट 50 फीट पहुंच गया है। इसको 852 फीट तक मेंटेन करना है। पानी की आवक होने से 19 में से 6 गेट 5-5 फीट व पांच गेट चार-चार फीट तक खोले गए हैं। एक लाख क्यूसेक लीटर से अधिक पानी निकासी के कारण निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा हो गया है, और जिला प्रशासन के द्वारा निचले इलाकों

- **जवाहर सागर बांध से पानी आने की वजह से कोटा बैराज से 1.10 लाख क्यूसैक लीटर पानी की निकासी की गई। इससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है।**
- **बारिश की वजह से चंबल का जल स्तर बढ़ रहा है इसलिए चंबल पर बने बांधों से पानी की निकासी करनी पड़ रही है।**

में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोटा बैराज के 11 गेट खोलने के पश्चात लोगों की भीड़ पानी की निकासी को देखने के लिए उमड़ पड़ी।

ऐसे में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों की भीड़ सेल्फी लेती नज़र आई।

ममता बनर्जी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टिप्पणी में कहा है कि पार्थो के पैसों से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है।

ममता द्वारा अपने इस पूर्व साथी एवं सहयोगी के समर्थन पूरी तरह हाथ खींच लेना बहुतों को हतोत्साहित करने वाला सिद्ध होगा। उनके ये वफादार अधिकांशतः उनके ही हुक्म पर कार्य किया करते थे। अब अगर वे किसी झंझट में फंसेंगे, तो उन्हें अपना बचाव खुद ही करना होगा।

पांच दिन बाद नए करोना संक्रमितों की संख्या दो सौ के नीचे आई राजस्थान में

प्रदेश में सोमवार को 187 नए संक्रमित मिले हैं, इससे पहले रविवार को 213 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 25 जुलाई । प्रदेश में पांच दिन बाद सोमवार को नए करोना संक्रमितों की संख्या दौ सौ के नीचे आ गई है। इस दौरान राज्य में 187 नए मरीज मिले हैं। हालाकि इस बीच लगातार रिकवरी में कमी आने से एक्टिव केस सोलह सौ से ऊपर बने हुए हैं।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में थोड़ी गिरावट के बाद 18 जिलों में 187 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले रविवार को 213 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में नए संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहां 60 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 25, जालोर में 17, जैसलमेर में 16, राजसमंद में 12, उदयपुर में 10, डूंगरपुर में 9, अलवर, बीकानेर व सिरोही में 6-6, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ में 4-4, अजमेर, गंगानगर व प्रतापगढ़ में 3-3 और दौसा, कोटा तथा सीकर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 15 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

- **राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 60 नए मरीज मिले हैं।**
- **राज्य में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस सोलह सौ के ऊपर पहुंच गए हैं।**

प्रदेश में सोमवार को भी नए संक्रमितों के मुकाबले में रिकवरी कम हुई है। इस दौरान 177 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 1632 हो गए हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 368 एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं जोधपुर में आज 52 संक्रमितों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 341 रहे गए हैं। प्रदेश में सोमवार को भी किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9577 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

जयपुर में सोमवार को सबसे ज्यादा 9 संक्रमित सांगानेर इलाके में मिले हैं। इसके अलावा दुर्गापुरा, मालवीय नगर, सी-स्कीम व विद्याधर नगर में 5-5, अजमेर रोड, जवाहर नगर व वैशाली नगर में 4-4, जगतपुरा व सोड़ाला में 3-3 तथा बापू नगर, बस्सी, चौड़ा रास्ता, सीविल लाइंस, गांधी नगर, लूणियावास, महेश नगर, मानसरोवर और तिलक नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 5 मरीजों के पते गलते मिलने पर उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। जिले में पिछले चौबीस घंटों में 43 मरीज रिकवर हुए हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908